

पत्रांक-...../२०का०

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, सिमडेगा।

सिमडेगा, दिनांक- /03/2017

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
सिमडेगा।

सेवा में,

जिला जन सूचना पदाधिकारी,
सिमडेगा।

विषय :- सहायक पुलिस नियुक्ति का विज्ञापन सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अनुरोधपूर्वक कहना है कि द0छो0क्षेत्र के अंतर्गत 04 जिला क्रमशः 1. सिमडेगा, 2. खूँटी, 3. गुमला एवं 4. लोहरदगा में कुल 800 सहायक पुलिस की नियुक्ति की जानी है, जिसके विज्ञापन की प्रति साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक युवक/युवतियों की बीच प्रचार-प्रसार करने हेतु उक्त विज्ञापन को रॉची से प्रकाशित होने वाले सभी दैनिक समाचार पत्रों में खूँटी, गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा के एडिशन में अलग-अलग दिन, दिनांक-20.03.2017 एवं 21.03.2017 के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक- यथोपरि।

पुलिस अधीक्षक,

सिमडेगा।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय सिमडेगा। सहायक पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

गृह कारा एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 16/नि0. 05/2016-5170, दिनांक 28.09.16 एवं अधिसूचना संख्या 16/नि0, 05/2016-1169, दिनांक 27.02.17 के आदेश के आलोक में सहायक पुलिस के नव सृजित पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य के गुमला, खूँटी, सिमडेगा एवं लोहरदगा जिलों के नीचे वर्णित थानों के स्थायी निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र०स०	जिला का नाम	थाना का नाम
1.	गुमला	घाघरा थाना / विशुनपुर थाना / गुरदरी थाना / पालकोट थाना / चैनपुर थाना / रायडीह थाना / डुमरी थाना / एल्बर्ट एक्का जारी थाना / कुरुमगढ़ थाना / सुरसांग थाना / बसिया थाना / कामडारा थाना / सिसई थाना / भरनो थाना
2.	खूँटी	मुरहू थाना / अड़की थाना / रनिया थाना / तोरपा थाना / कर्मा थाना
3.	सिमडेगा	बानो थाना / कोलेबिरा थाना / महाबुआंग थाना / जलडेगा थाना / मुफसिल थाना / पाकरटॉड थाना / टी०टांगर थाना / कुरडेगा थाना / केरसई थाना / बोलबा थाना / रेंगारीह थाना
4.	लोहरदगा	सेन्हा थाना / सेरेदांग थाना / किस्को थाना / बगडु थाना / जोबांग थाना / कुडू थाना / कैरो थाना / भंडरा थानो

सहायक पुलिस के पद पर नियुक्तियों में संबंधित जिला के आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा एवं कुल रिक्तियों में से 33% रिक्तियां महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी। चारों जिलों की जिलावार रिक्तियां निम्न प्रकार से हैं:-

क्र०स०	जिला का नाम	कुल रिक्ति	सामान्य कोटि	अन्य पिछड़ा वर्ग-I	अन्य पिछड़ा वर्ग-II	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	गुमला	300	150	00	00	09	141
2.	खूँटी	200	100	00	00	10	90
3.	सिमडेगा	150	75	00	00	10	65
4.	लोहरदगा	150	75	00	00	04	71
योग :-		800	400	00	00	33	367

परिलब्धियां:- सहायक पुलिस के रूप में कार्य करने पर प्रतिमाह कुल-10,000/-रु० का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावे कोई और भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

अहर्ताएं:-

1. **शैक्षणिक योग्यताएं:-** आवेदक को झारखण्ड राज्य की सीमा में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. **आयु सीमा:-**

क्र०स०	कोटि	पुरुष	महिला
1.	सामान्य	अधिकतम 22 वर्ष	अधिकतम 25 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग-। एवं ॥	अधिकतम 24 वर्ष	अधिकतम 25 वर्ष
3.	अनु०जाति / अनु०जनजाति	अधिकतम 27 वर्ष	अधिकतम 27 वर्ष

3. **शारीरिक मापदंड:-**

क्र०स०	कोटि	लम्बाई	सीना
1.	सामान्य	न्यूनतम 160 से०मी०	न्यूनतम 81से०मी०
2.	पिछड़ा वर्ग-। एवं ॥	न्यूनतम 160 से०मी०	न्यूनतम 81से०मी०
3.	अनु०जाति / अनु०जनजाति	न्यूनतम 155 से०मी०	न्यूनतम 79से०मी०
4.	महिला	न्यूनतम 148 से०मी०	-

4. **चयन प्रक्रिया:-**

क. **शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़)**

क्र०स०	कोटि	दुरी	समय
1.	पुरुष	5 कि०मी०	35 मिनट
2.	महिला	2.5 कि०मी०	20 मिनट

नोट:- दौड़ हेतु अलग से कोई अंक देय नहीं है परन्तु इसमें सफल होना अनिवार्य है।

ख. चिकित्सीय परीक्षण- दौड़ के उपरांत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का का चिकित्सीय परीक्षण सामान्य पुलिस नियुक्ति के मापदंड के अनुसार ही किया जाएगा जिसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

ग. लिखित परीक्षा- शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान, सतर्कता, अभिरुचि, तार्किक क्षमता एवं सम-सामयिक विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

नोट:— अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से शारीरिक-दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय-परीक्षण में सफल होने के उपरांत लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा-सूची तैयार कर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा।

शुल्क:— इस परीक्षा में शामिल होने हेतु कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सेवाशर्त:—(i) सहायक पुलिस के पद पर 02 (दो) वर्षों के लिये अनुबंध के आधार पर नियुक्त होगी। कार्य संतोषप्रद होने पर एक-एक वर्ष के लिये अधिकतम तीन वर्षों तक के लिये सम्बन्धित क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक के अनुमोदनोपरान्त विस्तारित किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में कुल अनुबन्ध सेवा अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(ii) सहायक पुलिस के पद पर की गई सेवा मात्र अनुबंध के आधार पर की गई सेवा होगी तथा इसके आधार पर भविष्य में किसी प्रकार का स्थायी नियोजन अथवा अन्य दावा अनुमान्य नहीं होगा।

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया:— नियुक्ति हेतु संबंधित चारों जिलों क्रमशः गुमला, खूँटी, सिमडेगा एवं लोहरदगा के उपरोक्त वर्णित थाना क्षेत्रों में स्थायी रूप से निवास करने वाले युवक एवं युवतियों के द्वारा अपने-अपने जिलों में नीचे लिखें स्थानों पर दिनांक-20.03.2017 से दिनांक-05.04.2017 तक प्रातः-10.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक जमा किया जा सकेगा:—

क्र०स०	जिला का नाम	आवेदन पत्र जमा करने का स्थान
1.	गुमला	पुलिस केन्द्र, गुमला।
2.	खूँटी	पुलिस अधीक्षक कार्यालय समाहरणालय भवन, खूँटी।
3.	सिमडेगा	पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समाहरणालय भवन, सिमडेगा।
4.	लोहरदगा	पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समाहरणालय भवन, लोहरदगा।

आवेदन का प्रपत्र तथा नियुक्ति संबंधी विस्तृत जानकारी जिला के बेवसाईट www.simdega.nic.in तथा पुलिस कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक,
सिमडेगा।